राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 923/2024

देशराज मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, खान विभाग, उदयपुर।
3. खन अभियंता, खान विभाग, ब्यावर।
4. श्री लोकेन्द्र सुमन, फोरमैन एडीएम, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024

आदेश की दिनांक : 20.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता/केविएटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में माइनिंग फोरमैन द्वितीय के पद पर

कार्यालय खान अभियंता, ब्यावर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय अधि.ख.अ. (सत) जोधपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र एक वर्ष की अल्पावधि में ही किया गया है। अपीलार्थी ने पूरी मेहनत एवं ईमानदारी से कार्य किया एवं गलत व्यक्तियों के विरूद्ध गंभीर कार्यवाही की, जिससे क्षेत्रीय नेताओं द्वारा शिकायत के आधार पर अपीलार्थी का राजनैतिक दबाव में आकर स्थानान्तरण किया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा भी पूर्व में ऐसे स्थानान्तरण आदेशों की क्रियान्विति को स्थगित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरविंद दत्तात्रेय धानडे बनाम महराष्ट्र राज्य व अन्य 1997 एससीसी (एल एवं एस) 1437 जैसे मामले में भी ऐसे स्थानान्तरण को अनुचित माना है और माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12930/2023 हरसुखराम विश्नोई बनाम राजस्थान राज्य व अन्य जिसमें प्रार्थी के ईमानदारी से कार्य करने के बावजूद स्थानान्तरण किये जाने को गलत ठहराते हुये निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"Learned counsel for the respondent though submits that the transfer has been made for administrative exigency but is unable to point out as to in what circumstances, a singular transfer has been made and that too from a sensitive post of Mining Engineer (vigilance) to another post of Mining Engineer (writs) for the post in question.*
>
> *This Court ordinarily would not interfere in a transfer matter but looking into the peculiar factual-matrix is inclined to direct the respondents to revisit the transfer order as per the administrative exigency and accordingly, the transfer order dated 21.08.2023 Annex.2 is quashed and set-aside and the respondents are directed to pass fresh order, if the administrative exigency requires while keeping into consideration the facets pointed out by the petitioner."*

क्षेत्रीय नेताओं की शिकायत के आधार पर/राजनैतिक प्रभाव में आकर तथा अपीलार्थी द्वारा गलत व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण मात्र 10 माह की अल्पावधि में ही एवं स्थानान्तरण किया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों/विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है और अपीलार्थी के स्थान पर लोकेन्द्र सुमन द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। अपीलार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं के आधार पर स्थानान्तरण निरस्त किया जाने का आधार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन माइनिंग फोरमैन द्वितीय के पद पर कार्यालय खान अभियंता, ब्यावर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय अधि.ख.अ. (सत) जोधपुर किया गया है। जहां तक गलत व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा कार्यवाही किये जाने एवं क्षेत्रीय राजनेताओं के पत्राचार/राजनैतिक प्रभाव में आकर स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर वर्ष 2023 से एक ही स्थान पर कार्यरत है और अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर राजनैतिक प्रभाव के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि राजनैतिक दबाव में आकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया हो, किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य